



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA**

बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय

OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR

बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004

Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004

Phone No. 0612-2675929, 2675672, Fax-0612-2675049 Email [dco-bih.rgi@censusindia.gov.in](mailto:dco-bih.rgi@censusindia.gov.in)

पत्रांक डी. 11012/1/2011 जेनरेटर (पार्ट 1)-228

दिनांक- 10/3/2015

**निविदा आमंत्रित**

जनगणना निदेशालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, द्वितीय तल अशोक राज पथ, पटना स्थित कार्यालय के लिए 20 के.वी.ए. जेनरेटर (Silent) किराया पर लेने हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। मुहरबंद निविदा दिनांक 25.03.2015 के 3.00 बजे अपराह्न तक बिहार के जनगणना निदेशक के कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, द्वितीय तल, अशोक राजपथ, पटना-4 में प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निविदा को दिनांक 25.03.2015 को ही 4.00 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। निविदा खुलते समय निविदादाताओं/प्राधिकृत प्रतिनिधियों उपरिथित रह सकते हैं।

निविदा प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन निविदादाताओं को करना होगा।

(A) तकनीकी बिड (Technical Bid) निम्नांकित प्रमाण पत्रों / प्रपत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

- आयकर द्वारा जारी पैन कार्ड नम्बर की प्रति
- फर्म का संचालन का प्रमाण पत्र की प्रति
- अम विभाग द्वारा निर्गत निवंधन पत्र की प्रति
- मंत्रालयों / विभागों में कार्य करने का अनुभव की प्रति
- दो हजार रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन राशि (ई.एम.डी.) के रूप जो सहायक निदेशक -सह- डी0डी0300 जनगणना निदेशालय, बिहार, पटना के नाम देय हो, समर्पित करना होगा।

(B) अन्य शर्तें

- नियमानुसार आयकर संबंधी TDS की कटौती की जाएगी।
- निविदा अंशतः एवं पूर्णतः रद्द करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित है।
- सशर्त निविदा रखीकार नहीं किया जायेगा।
- जेनरेटर का रख-रखाव फर्म द्वारा किया जायेगा।
- जेनरेटर खराब होने की स्थिति में शीघ्र दसरा जेनरेटर उपलब्ध कराना।
- तकनीकी बिड के शर्तों को पूरा करने वाले फर्मों का ही वित्तीय बिड खोला जाएगा।

(C) वित्तीय बिड (Financial Bid)

20 के.वी.ए. का जेनरेटर (Silent), चालक की मजदूरी राशि मासिंक रूप से अंकित (संलग्न प्रपत्रों में) की जानी है एवं डीजल फर्म द्वारा ही देय होगा। निदेशालय द्वारा 3 लीटर प्रति घंटे की दर से डीजल की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की जायेगी। प्रत्युत दर कम से कम एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

10/3/15  
(धीरेन्द्र कुमार)  
संहायक निदेशक (का० ३०)

पत्रांक डी. 11012 / 1 / 2011 जेनरेटर (पार्ट I)–

दिनांक–

वित्तीय निविदा

| कार्य का विवरण                   | प्रति दिन | मासिक दर |
|----------------------------------|-----------|----------|
| 20 के.वी.ए. का जेनरेटर (Silent ) |           |          |
| चालक की मजदूरी                   |           |          |

फर्म का नाम और पूरा पता

निविदाकर्ता या  
प्राधिकृत प्रतिनिधि  
का दिनांकित हस्ताक्षर  
(फर्म के मुहर के साथ)